न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 124/2024 (उदयपुर डिक्री)

उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर जरिये आयुक्त, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

1. जीवा पिता लखा जी डांगी मृतक के बजाय :–

1/1. रूपलाल पिता जीवा जी डांगी, निवासी बेदला खुर्द, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. भूरीलाल पिता जीवा जी डांगी, निवासी बेदला खुर्द, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. श्रीमती ऐजी बाई पत्नी कमल जी डांगी, निवासी बेदला खुर्द, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

1/4. प्रकाश पिता कमल जी डांगी, निवासी बेदला खुर्द, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

1/5. राकेश पिता कमल जी डांगी, निवासी बेदला खुर्द, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

1/6. दीपक पिता कमल जी डांगी, निवासी बेदला खुर्द, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

2. माना पिता लखा जी डांगी मृतक के बजाय :–

2/1. श्रीमती पुष्पा बाई पिता माना जी डांगी, निवासी बेदला खुर्द, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

2/2. श्रीमती सरसी बाई बेवा माना जी डांगी, निवासी बेदला खुर्द, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

2/3. मांगीलाल पिता माना जी डांगी, निवासी बेदला खुर्द, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

2/4. माधवलाल पिता माना जी डांगी, निवासी बेदला खुर्द, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

3. मेघा पिता लखा जी डांगी, निवासी बेदला खुर्द, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

4. चन्दा पिता लखा जी डांगी, निवासी बेदला खुर्द, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

5. छगा उर्फ उर्फ छगनलाल पिता देवा जी डांगी, निवासी सबलपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

6. गणेश पिता परथा जी डांगी, निवासी सबलपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:36:03 IST
Reason: SelfAttested

7. मोहन पिता परथा जी डांगी, निवासी सबलपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती खेमणी जी डांगी, निवासी सबलपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
9. ख्यालीलाल पिता भूरा जी डांगी, निवासी नाई, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
10. चेनराम पिता भूरा जी डांगी, निवासी नाई, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
11. रामलाल पिता भूरा जी डांगी, निवासी नाई, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
12. श्रीमती कन्नी बेवा जी डांगी, निवासी नाई, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (नाम तर्क) अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 21.05.2024 से
13. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)
14. तहसीलदार गिर्वा हाल बड़गांव, राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
15. श्रीमती समुद्र कुंवर बेवा रघुनाथ सिंह जी राजपूत, निवासी गोविन्द भवन, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.)
16. माधेसिंह पिता रावमनोहर सिंह जी राजपूत, निवासी गोविन्द भवन, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.)
17. भंवरसिंह पिता जनक सिंह जी राजपूत, निवासी गोविन्द भवन, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.)
18. धर्मेन्द्र कुंवर बेवा जनक सिंह जी राजपूत, निवासी गोविन्द भवन, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.)
19. विजय सिंह पिता रावमनोहर सिंह जी राजपूत, निवासी गोविन्द भवन, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, बड़गांव
दिनांक 21.05.2024 प्र.सं. 421/2019

———/———

उपस्थित :–1– श्री नरपतसिंह चुण्डावत अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण

———::———

निर्णय दिनांक 23–04–2025

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 12 ने एक वाद धारा 88, 188 राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:36:03 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बेदला में आराजी नंबर 1774 से 1799, 1803, 1804, 1806 से 1811 कुल किता 34 स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 966/11, 966/5 कुल किता 2 रकबा 49 बीघा है। उक्त आराजियात वादीगण ने राव मनोहर सिंह जी पॉवर ऑफ एटोर्नी श्रीमती दुर्गा कुंवर, श्रीमती समुद्र कुंवर बेवा रघुनाथ सिंह, माधो सिंह, राव मनोहर सिंह, जनक सिंह पिता राव मनोहर सिंह, विजय सिंह पिता राव मनोहर सिंह से अलग–अलग विक्रय पत्र से दिनांक 22–11–1974 को क्रय की, जिसके पड़ोस पूर्व में बिलानाम जमीन, पश्चिम में सेर (रास्ता), उत्तर में बिलानाम जमीन जिस पर वरदीचंद का कब्जा है तथा दक्षिण में कस्तूर चंद की जमीन व सेर (रास्ता) है। उक्त आराजियात पर वादीगण का दिनांक 07–09–1968 के पूर्व से कब्जा चला आ रहा है तथा पहले से कब्जा होने से दिनांक 22–11–1974 विक्रय कर रजिस्ट्री करा दी गयी। तब से वादीगण मालिकाना हक से काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। आराजी नंबर 1792, 1793, 1794, 1797, 1798 कुल किता 5 रकबा 0.62 हैक्टर वादीगण प्रत्येक 1 से 4 जीवा, माना, मेघा, चन्दा पिता लखा जी डांगी तथा आराजी नंबर 1784 से 1791, 1807 से 1811 वादीगण परथा, जगा पिता देवा द्वारा भारती आदि को बेह करने से भारती आदि के नाम दर्ज हुई है, लेकिन विक्रय आराजी नंबर 1776, 1777, 1778, 1795, 1796, 1797, 1780, 1780, 1781, 1782, 1783, 1803, 1804, 1806 वादीगण को बिना सूचना दिये व बिना आधार के बिलानाम दर्ज कर दी तथा आराजी नंबर 1774, 1775 अनिल कुमार पिता भंवरलाल दलाल, अनिल कुमार पिता नानालाल नागौरी, पवन कुमार पिता हीरालाल भण्डारी के नाम 1/2 हिस्सा बिना किसी आधार के दर्ज कर दिया। तहसीलदार द्वारा वादीगण के विरूद्ध नाजायज कब्जे की कार्यवाही की जा नही है, जबकि वादीगण का कब्जा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 02–05–1968 के पूर्व से चला आ रहा है, जिससे वादीगण एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदार हो चुके हैं। अतः आराजी नंबर 1776, 1782, 1783, 1804, 1806 का वादी जगा पिता देवा, गणेश, मोहन पिता परथा, खेमला बेवा परथा, ख्यालीलाल, चेनराम पिता भेरा, श्रीमती कन्नी बाई बेवा भूरा जी डांगी को खातेदार एवं आराजी नंबर 1777, 1781,

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:36:03 IST
Reason: SelfAttested

1795, 1796, 1803, 1799 का वादीगण जीवा, माना, मेघा व चन्द्रा को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा फरमावे जावे।

2. अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30–11–2009 को वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर वादीगण द्वारा न्यायालय हाजा में अपील संख्या 2/2010 प्रस्तुत की गयी, जो न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 14–11–2018 को स्वीकार किया जाकर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया, जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21–05–2024 को वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री पारित की गयी है, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 24–10–2024 को यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनकर मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दिनांक 8–05–2024 को वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील दिनांक 25–06–2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से अधिवक्ता संजय बोहरा उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये एवं बिना सुने अपीलान्ट के हितों एवं विधिक अधिकारों के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

6. उक्त बहस का जवाब देते हुए अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि दौराने दावा नगर विकास प्रन्यास के नाम बिना अधिकार के भूमि दर्ज की गयी है। अपीलान्ट हितबद्ध व्यक्ति नहीं है तथा नगर विकास प्रन्यास का एक दिन भी कब्जा नहीं रहा है, बल्कि वर्ष 1968 से रेस्पोन्डेन्ट का निरन्तर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:36:03 IST
Reason: SelfAttested

चला आ रहा है। तथाकथित मामले में केवल राज्य सरकार ही अपील प्रस्तुत कर सकती है, अपीलान्ट हितबद्ध व्यक्ति नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें AIR 2004 SC Page 173, AIR 2007 Raj. Page 73, DNJ 1996 SC Page 456, RBJ 2013 (20) Page 569 प्रस्तुत की।

7. हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया। अपीलान्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वर्तमान में विवादित भूमि अपीलान्ट के खातेदारी में दर्ज है। अतः अपीलान्ट हितबद्ध व प्रभावित पक्षकार होने से उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

8. अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट पक्षकार नहीं होने से उन्हें निर्णय व डिक्री की जानकारी तत्समय नहीं हो सकी। दिनांक 16–08–2024 को जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत कर दी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार फरमायी जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

9. उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट हितबद्ध व्यक्ति नहीं है तथा केवल राज्य सरकार के फुट स्टेप पर आकर यह अपील पेश की है। जानबूझकर अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गयी है तथा देरी का कोई वास्तविक कारण नहीं बताया है। अतः अपील बेरून मयाद होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2003 (2) Page 887, RRT 2014 (2) Page 1331, RBJ (17) 2010 Page 289 प्रस्तुत की।

10. हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे तथा अपील प्रस्तुत करने में भी मात्र तीन माह का विलम्ब हुआ है। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:36:03 IST
Reason: SelfAttested

11. अभिभाषक अपीलान्ट ने आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उनके साथ दस्तावेजात प्रस्तुत किये एवं न्यायिक निर्णय के लिए उन्हें आवश्यक दस्तावेज बताते हुए रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। ताईद में शपथ पत्र पेश किया।

12. उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि दौराने दावा अपीलान्ट को विवादित भूमि ट्रान्सफर हुई है, जिस दिन वाद पेश किया उस दिन भूमि बिलानाम थी। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अन्तिम निर्णय पर पहुंचने के लिए सहायक दस्तावेज नहीं है तथा उन्हें रेकार्ड पर रखे जाने का कोई कानूनी औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

13. हमने उक्त दस्तावेजों का अवलोकन कर बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां होने से उनके फर्जी अथवा कूट रचित होने का कोई अंदेशा नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेजात रेकार्ड पर लिये जाते हैं।

14. जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि वादीगणों ने सन 1974 के कथित विक्रय पत्र को आधार बनाकर वाद प्रस्तुत किया है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई विवेचन नहीं किया है कि 50 वर्षो तक नामान्तरकरण नहीं खुलने का क्या कारण रहा तथा तहसीलदार बड़गांव ने भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया तथा सीलिंग के प्रकरण के तथ्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी पक्षकारों के कुसंयोजन पर कोई विचार नहीं किया, क्योंकि वाद प्रस्तुत करते समय वादग्रस्त भूमि का खातेदार नगर विकास प्रन्यास होते हुए भी उसे पक्षकार नहीं बनाया गया, जबकि न्यायालय द्वारा स्वविवेक से नगर विकास प्रन्यास (वर्तमान में उदयपपुर विकास प्राधिकरण) को पक्षकार बनाया जा सकता था। मूल खातेदार राव मनोहर सिंह, विजय सिंह, रघु नाथ सिंह वादग्रस्त भूमि के स्वामी ही नहीं थे तो उनको भूमि विक्रय करने का कोई अधिकार ही नहीं था, क्योंकि उपरोक्त विक्रय पत्रों को सीलिंग के प्रकरण में मान्यता प्राप्त नहीं की गयी है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान [illegible] है तथा अपीलान्ट को बिना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:36:03 IST
Reason: SelfAttested

पक्षकार बनाये एवं बिना सुने निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमावे जावे तथा गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

15. रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि वादीगण द्वारा वर्ष 1974 में भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गयी था तथा सीलिंग प्रकरण में इस भूमि को भार से बाहर रखा गया है। सीलिंग का कोई फाईनल आदेश नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

16. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22–11–1974 अनुसार वादीगण द्वारा विवादित भूमि राव मनोहरसिंह से क्रय किया जाना स्पष्ट है तथा खसरा गिरदावरियों एवं धारा 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नोटिस से वादीगण का कब्जा होना भी प्रकट होता है, हालांकि वर्तमान में नवीनतम न्यायिक नजीरों अनुसार कब्जे के आधार पर काश्तकारी कानून में खातेदारी देय नहीं है एवं सम्बन्ध में न्यायालय हाजा ने भी पूर्व में पारित अपने निर्णय दिनांक 14–11–2018 में स्पष्ट उल्लेख किया है, किन्तु विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण की कोई कार्यवाही वादीगण द्वारा नहीं किये जाने के कारण वक्त सेटलमेन्ट भूमि बिलानाम दर्ज हो गयी, जिसे वर्ष 2010 में जिला कलक्टर द्वारा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को आवंटित कर दी गयी एवं वर्तमान में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर) के नाम दर्ज है। न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेशों की पालना में अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों के आधार पर वादीगण द्वारा क्रय किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों एवं सीलिंग में चले प्रकरणों परद विस्तृत विवेचन कर तनकीवार निर्णय पारित करते हुए करते हुए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया है, किन्तु अपीलान्ट का कथन है कि विवादित भूमि उनकी खातेदारी में दावा दायर करने के पूर्व से दर्ज [illegible] के वादीगण द्वारा जानबूझकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:36:03 IST
Reason: SelfAttested

दावे में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा बिना पक्षकार बनाये एवं बिना सुने उनके परोक्ष में निर्णय पारित कर दिया है, जिससे उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। प्रकरण में हम पाते हैं कि वादीगण द्वारा दावा वर्ष 2002 में प्रस्तुत किया गया है, जबकि अपीलान्ट के नाम भूमि 2010 में दर्ज हुई। वर्तमान में विवादित भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज होने से हम उन्हें प्रकरण में आवश्यक पक्षकारान मानते हुए धारा 96 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के तहत हितबद्ध पक्षकार माना है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण वह अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का पुनः साक्ष्यों के आधार पर परीक्षण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है।

17. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 21–05–2024 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर को प्रतिवादी संख्या 11 के रूप में संस्थित कर तथा उनका जवाबदावा लेकर व सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर वादीगण के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं सीलिंग प्रकरणों को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः तनकीवार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11–06–2025 को उपस्थित रहे। निर्णय आज दिनांक 23–04–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:36:03 IST
Reason: SelfAttested